निरीक्षण आख्या कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार हरिद्वार के अवधि **06/2014** से **08/2016** तक के लेखा अभिलेखों का लेखापरीक्षा **श्री टी0एस0 नेगी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री एस0 के0 डंग सुपरवाइजर** द्वारा दिनांक **08.09.16** से **20.09.16** तक **श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

<u>भाग-प्रथम</u>

अ **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री एस. के. सिंह (स0ले0प0अ0) के द्वारा दिनांक **12/06/2014** से **20/06/2014** तक श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पन्न की गयी थी। जिसमे माह **4/11** से **5/2014** तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

वर्तमान माह **06/2014** से **08/2016** तक के लेखा अभिलखो की जांच की गयी।

1.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाला:

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत समय अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1.	श्री बी. पी. पाण्डेय,	a अधीक्षक	09/10/13	30/03/2015
2.	श्री एस. के. सुखीजा	अधीक्षक	30/03/15	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

प्रतिवेदन स0	भाग-दो (अ)	भाग दो (ब)
55/2011-12	-	2 प्रस्तर
18/2009-10	-	4 प्रस्तर
17/2014-15	-	2 प्रस्तर

(1) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(2) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) :- **शून्य**

3. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	**आयोजनागत (plan)**		**आयोजनेत्तर (non plan)**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	-	-	350.92	350.92
2014-15	-	-	400.92	400.14
2015-16	-	-	473.96	473.83
2016-17	-	-	459.12	284.81

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर1- पारिश्रमिक राशि (02-मजदूरी) से प्राप्त ब्याज की धनराशि को शासकीय खाते में जमा न किया जाना (रु 6,66.299-)

शासन द्वारा मद स. 02- मजदूरी मे आवंटित धनराशि का उपयोग कैदियों द्वारा जेल मे किए गये कार्यो हेतु परिश्रमिक के रूप मे किया जाता है। संबन्धित अभिलेखों की जांच मे पाया गया की वर्ष 2006-07 से 2016-17(सितम्बर 2016) तक उक्त मद मे प्राप्त राशि की पी. डी. सी. पास बुक, (पंजाब नेशनल बैंक के नाम) मे जमा पर रु 6,6,6.299- ब्याज प्राप्तिया थी। इकाई द्वारा इसका समायोजन/ शासकीय खाते मे जमा करना। लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं हुआ था।

इंगित करने पर इकाई देयरा बताया गया की इस संबंध मे कारागार मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है, आदेश प्रतीक्षित है। इकाई द्वारा यह भी सूचित किया गया कि बंदियो की परिश्रमिक धनराशि प्रतिमाह रु 600.00 – लगभग होती है। जो 02- मजदूरी के अंतर्गत आहरित कर सुरक्षा की द्रष्टि से नगद धनराशि को बैंक खाते मे रखना अनिवार्य है। परन्तु उक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज को वितीय निमनुसार शासकीय खाते मे जमा न कराये जाने पर इकाई द्वारा को कोई स्पष्ठ संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग - दो 'ब'

प्रस्तर 02- स्वीक्रत पदो के सापेक्ष नियुक्तियाँ तैनाती कम होना।

इकाई के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2006 तथा वर्ष 2016 मे तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित स्वीक्रत पदो के सापेक्ष कर्मचारियों/ अधिकारियों की नियुक्ति/ तैनाती निम्नानुसार थी –

क्र. स.	पद	वर्ष 2006			वर्ष 2016		
		स्वीक्रत	तैनाती	रिक्त	स्वीक्रत	तैनाती	रिक्त
1.	उप कारापाल	04	04	-	07	01	06(86%)
2.	बंदीरक्षक	100	53	47(43%)	107	22	85(79%)
3.	महिला प्र. बंदीरक्षक	01	01	-	01	-	01(100)
4.	चिकित्सक	01	01	-	01	0	01(100)

इकाई की सूचना के अनुसार- जिला जेल, हरिद्वार मे जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक औसतन कुल बंदियो की संख्या 3,77,096 थी तथा वर्तमान मे उक्त जेल मे कुल 999 बंदी (म0-48,पु0-951) है। (9/2016). इकाई मे औसतन 1032 बंदी प्रतिदिन रहते है।

तुलनात्मक रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि जहां वर्ष 2006 मे उप कारापाल के 04 स्वीक्रत पदो पर पूर्ण तैनाती थी वही वर्ष 2016 मे उप कारापाल के 07 स्वीक्रत पदो पर मात्र 01 पद पर तैनाती थी अर्थात 86% पद भरे नहीं गए, इसी प्रकार वर्ष 2016 मे महिला प्र0 बंदीरक्षक का पद एव चिकित्सक का पद रिक्त था तथा बंदीरक्षक के 79% पद रिक्त थे।

उपरोक्त तथ्यो कि ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान मे एक उप कारापाल ही सात उपकारापालों के कर्तव्यो का संचालन कर रहे है चिकित्सक का पद वर्ष 2014 से रिक्त चल रहा है। इस संबंध मे मुख्यालय से पत्राचार किया गया है। चिकित्सकीय कार्यो का सम्पादन सविदा पर (एक चिकित्साधिकारी व एक फार्मसिस्ट) तथा एक विभीगीय फार्मसिस्ट द्वारा किया जाता है। बंदीरक्षक-22, उपनल से सुरक्षा- कर्मी-22, होमगार्ड -15, पुरुष 05- महिला एव पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात आरक्षी-09 से कारागार के बाहर कि अन्दर एवं बाहर कि सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।

इस प्रकार वर्ष 2006 की तुलना मे उपरोक्त वर्णित स्वीक्रत पदो पर 79% से 100% तक रिक्त पद चल रहे थे 09/2016 जिसके कारण जेल सम्बंधी कार्यो का संपादन अपेक्षित मानकों के अनुसार होना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जात है।

भाग - दो 'ब'

प्रस्तर:3 – मनमाने दंग से व्यय करने के उपरांत रु 696.00 लाख का अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जाना।

कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार हरिद्वार की लेखापरीक्षा मे अभिलेखों की जांच के दौरान तथ्य प्रकाश मे आया कि स्वीक्रत धनराशि रु 801.56 लाख कि राशि से कारगार, हरिद्वार के विस्तरीकरण का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान था।

लेखापरीक्षा मे देखा गया कि जिस इकाई की निर्माणाधीन भवन थी, उसका कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमेटेड) द्वारा निष्पादित कराये जा रहे भवन कार्यो जैसे भवन मानक को बनाये रखने के लिए अपनायी गयी जरूरी तकनीकी रिपोर्ट, आगणन मे स्वीक्रत कार्यो की स्थिति, समय- समय पर अनुश्रवण हेतु गठित समिति की अनुश्रवण रिपोर्ट पर, नियंत्रण शून्य पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि आवश्यक अभिलेख निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा उनके अधीनस्थ जे0 ई0 के समक्ष समस्त तथ्यो को रखने के बावजूद प्रस्तुत करने मे एजेंसी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। संबन्धित प्रकरण मुख्यालय की जानकारी मे लाया जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया। निर्माण एजेंसी यू0 पी0 की है। अत: समस्त अभिलेखो को कारागार को उपलब्ध न कराना लेखापरीक्षा से बचने का योजनाबद्धता को दर्शाता है।

अत: रु 801.56 लाख के तथ्यो को लेखापरीक्षा के समक्ष न रखा जाना, एक गंभीर मामला है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित **कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार हरिद्वार** कर इस आशय से प्रेषित किया गया कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना करना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र